

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक :

सचिव,

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,

भिवानी-127021

Email:- asenr@bseh.org.in

क्रमांक ५१३३-५१५०/डी.एल.एड.सम्बद्धता

सेवा में,

प्राचार्य

...निम्नवल्ति...C.R.H.J.G.D..मर्यादा...नियंत्रण.

...निम्नवल्ति...C.K.P.D.U.K.S.B.E.T.O. ....

Code - 511002

दिनांक ३०/०५/२०२३

महेदय/महेदया,

आपकी संस्था को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक एवं गुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा 2009-10 मे दी गई अस्थायी सम्बद्धता/ NCTE द्वारा दी गई मान्यता /अनुमति के आधार पर शैक्षिक सत्र २०१२-१३ के लिये इस बोर्ड द्वारा निम्न शर्तों पर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था बोर्ड/ शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय – समय पर जारी किये जाते हैं, उनकी दृढ़ता से पालन करेगी।
2. बोर्ड/शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति के बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्य योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/ परिवर्तन नहीं करेगी।
3. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपनी संस्था का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी। बोर्ड द्वारा भवन एवं फर्नीचर का किराया इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
4. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी ताकि नकल / प्रतिलिपेण एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
5. बोर्ड के निर्देश पर शिक्षकों/छात्रों का रिकार्ड तथ्यों की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।
6. संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी / नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। जिसमें संस्था पूर्ण सहयोग करेंगी। तथा रिकार्ड मांगने पर उसे उपलब्ध करवाना होगा।
7. संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाना अनिवार्य है।
8. स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
9. संस्था अपने मूल स्थान से भवन को दूसरी जगह एन.सी.टी.ई. की स्वीकृति के बिना रिपोर्ट नहीं करेगी।
10. अस्थायी सम्बद्धता जारी रखने के लिये प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 50000/- रुपये सम्बद्धता शुल्क जमा करवाना आवश्यक है।
11. संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अधीक्षक (सम्बद्धता)

कृते: सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
 (एसीटीई का एक विभिन्न संस्थान)  
 उत्तर क्षेत्रीय समिति

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION  
 (A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT)  
 NCTE Northern Regional Committee

F.NRC/NCTE/F-7/6/Ex-3

6/68

ORDER

September 09, 2006

The 05 institutions mentioned in para 3 below submitted applications to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition to B.Ed / E.T.T / C.P.Ed or equivalent courses in terms of Section 14(1) & 15(1) of NCTE Act, 1993, among others.

2. The NRC at its 107<sup>th</sup> meeting held on 7<sup>TH</sup>-9<sup>TH</sup> September, 2006 (second sitting) considered the applications of the institutions included in the Agenda for the meeting and after careful examination of relevant documents, Visiting Team Reports, Video Recording etc. found the institutions mentioned in para 3 below fit for grant of recognition of the courses and intake mentioned against their names.

3. Now, therefore, in exercise of powers vested under Section 14(3)(a) & 15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition to these institutions w.e.f. the session 2006-2007 for the course and intake mentioned against the name and address shown as under.

S.No.	Name and address of the institution	Course	Approved intake
1.	Bharat College of Education, VPO - Babain, Kurukshetra, Haryana. (HR-260)	C.P.Ed.	50
2.	Bharat College of Education, VPO - Babain, Kurukshetra, Haryana. (HR-260)	E.T.T	50
3.	Tulsi College of Education, Rohtak, Haryana (HR-369)	E.T.T	50
4.	Starex Institute of Education, Binola, Bhora Kalan, Delhi Jaipur Highway, NH-8, Gurgaon, Haryana	E.T.T	50
5.	KIIT College of Education, Sohna Road, Bhondsi, Gurgaon, Haryana. (HR-309)	B.Ed	100

4. The institutions shall ensure the fulfillment of the following:-

- (a) The institutions shall maintain the teaching staff strength as per NCTE norms applicable to respective course/s approved.
- (b) The institutions shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
- (c) The institutions shall within one month of the receipt of the Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five Years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an authorized official of the Regional Committee.

Principal  
 Bharat College of Education  
 V.P.O. BABAIN (Kurukshetra)

Contd. 2

Office A-46, Sharli Path, Tulsinagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)  
 Jurisdiction U.P., Uttrakhand, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

E-mail- nrc@ncte.in.org

Website- <http://www.ncte-in.org>